कार्यालय नगर पालिका मुकुन्दगढ़ जिला–झुन्झुनू (राज.)
(फोर्ट रोड़ लाल कुआं के पास वार्ड नं. 15)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः–न.पा.मु./2022–23/ 3342 दिनांकः– 17/10/2023

अनापति प्रमाण पत्र

आवेदन नम्बरः– न.पा.मु./2023/01
जारी करने की दिनांकः– 17.10.2023

प्रेषितः–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती– प्रबंधक डूण्डलोद पब्लिक स्कूल, डूण्डलोद
आवेदक का पता– जयपुर–पिलानी रोड़ बस स्टेण्ड के पास डूण्डलोद– 333702

विषयः–अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

आपके भवन डूण्डलोद पब्लि स्कूल डूण्डलोद का निरीक्षण के दौरान सुरक्षा उपकरण सही पाये गये तथा आवेदन के अनुसार भवन का क्षैत्रफल 4873 वर्गमीटर हैं। अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह स्थाई अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाये जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रख जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत् आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नही हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं। वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

17/10/23
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका मुकुन्दगढ

D/prem doc./New file year 2022-23